बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-03/2020-5061/श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति बेगूसराय के विरूद्ध दिये गये परिवाद के साथ प्राप्त पेन ड्राईव में इनके द्वारा आंगनबाड़ी सेविका श्रीमती माधुरी कुमारी को अन्य बातों के अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका की चल रही हड़ताल को जारी रखने एवं इसे वापस नहीं लेने का दबाव बनाये जाने इत्यादि आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के आलोक में श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति बेगूसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। जिसके आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक-17.03.2025 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्रीमती शर्मा द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-24.03.2025 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का आवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रस्तुत मामले में महाधिवक्ता बिहार द्वारा दिये गये परामर्श में इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने एवं Continue करने का औचित्य नहीं है। साथ हीं परिवादी से साक्ष्य एवं शपथ पत्र की मॉग किये जाने पर उनके द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि वे किसी प्रकार का कोई भी शिकायत पत्र श्रीमती सुगंधा शर्मा के विरूद्ध प्रेषित नहीं किए हैं।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार एवं बेगूसराय सम्प्रति निलंबित निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ को भविष्य के लिए सचेत करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अत: अत: उक्त परिपेक्ष्य में इन्हें भविष्य के लिए सचेत करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती शर्मा को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-03/2020- 5061 पटना-15 दिनांक - 27.6.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-03/2020- 5061 पटना-15 दिनांक -27.6.2025

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/मुंगेर/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/बेगूसराय/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु)/श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार एवं बेगूसराय सम्प्रति निलंबित निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।